



Chhattisgarh State Industrial Development Corporation Limited

(A Government of Chhattisgarh Undertaking)

1st Floor, Udyog Bhawan, Ring Road No.1, Telibandha, Raipur(C.G.) – 492006

CIN : U45203CT1981SG001853, PAN : AABCM6288N, GST Regn. No. 22AABCM6288N5ZY

Phone : 0771-6621000 Fax : 0771-2583794

Website : www.csidc.in, Email address:csidc.cg@nic.in,csidc_raipur@yahoo.com

प्रथम आमंत्रण, अल्पकालीन निविदा सूचना (मैन्यूअल पद्धति)

निविदा क्रमांक 32/सीएसआईडीसी/ई.ई.-1/संभाग-1/2025-26/

रायपुर, दिनांक 16/01/2026

मुहरबंद निविदाये फार्म 'ब' (आईएम दर) वांछित श्रेणी में छत्तीसगढ़ राज्य में एकीकृत पंजीयन प्रणाली 'ई-पंजीयन' के अन्तर्गत द एवं इससे ऊपर पंजीकृत ठेकेदारों से निम्नलिखित कार्यों हेतु दिनांक 06/02/2026 अपराह्न 3.00 बजे तक कार्यालय कार्यपालन अभियंता संभाग-1 सीएसआईडीसी, उद्योग भवन, द्वितीय तल, रिंग रोड नं०-01 तेलीबांधा, रायपुर में आमंत्रित की जाती है। प्राप्त निविदाये उसी दिन अपराह्न 3.30 बजे उपस्थित निविदाकारों/उनके अधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष खोली जावेगी।

स. क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की अनुमानित लागत रु.	अमानत राशि रु.	निविदा प्रपत्र मूल्य रु.	कार्य पूर्ण करने की अवधि	निविदाकार की श्रेणी	निविदा का प्रकार	दर अनुसूची (एस.ओ.आर)
1	औद्योगिक क्षेत्र सिरगिट्टी, बिलासपुर स्थित उच्च स्तरीय जलागार का मरम्मत एवं मजबूतीकरण का कार्य।	9.85 लाख	7,500/-	885/-	02 माह वर्षाकाल सहित	द वर्ग एवं इससे ऊपर	आईएम दर	i) SOR for PWD Bridge works w.e.f. 01.01.2025 issued by Engineer-in-chief PWD (C.G.) ii) SOR Building works 01.01.2015 issued by Engineer-in-chief PWD (C.G.)

शर्त :-

- कोरे निविदा प्रपत्र इस कार्यालय के कार्यपालन अभियंता संभाग-1 से कार्यालयीन अवधि में निविदा प्रपत्र का निर्धारित मूल्य नगद मुख्यालय उद्योग भवन, द्वितीय तल रिंग रोड नम्बर 01, तेलीबांधा रायपुर में भुगतान कर दिनांक 05/01/2026 को अपराह्न 2.00 बजे तक तकनीकी कार्यालय कार्यपालन अभियंता संभाग-1 सीएसआईडीसी, उद्योग भवन, द्वितीय तल रिंग रोड नम्बर 01, तेलीबांधा, रायपुर से प्राप्त किया जा सकता है।
- उपरोक्त कार्य में उपयोग की जाने वाली गौण खनिज का रॉयल्टी चुकता प्रमाण पत्र खनिज विभाग से प्राप्त कर प्रस्तुत करने के पश्चात ही अंतिम देयक का भुगतान किया जावेगा।
- निविदा आवेदन क्रय करने हेतु जीवित पंजीयन, जीएसटी पंजीयन प्रमाण पत्र, अंतिम 03 वर्ष का आयकर चुकता प्रमाण पत्र, पेन कार्ड, OHT पर कंक्रीट की दरारों के लिए एपॉक्सी/पॉलीयुरेथेन लेप, प्लास्टिक की वैल्विंग या एपॉक्सी पुट्टी, और दीर्घकालिक सुरक्षा के लिए सीमेंटयुक्त/एक्रिलिक वॉटरप्रूफिंग कोटिंग्स लगाने के कार्य का अनुभव प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- निविदा स्वीकृत उपरांत सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड का पंजीयन कराने के पश्चात ही कार्यदेश दिया जाएगा, साथ ही भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम 1996 की धारा 3 (1) के अंतर्गत निर्माण कार्य (Construction Works) पर 1 प्रतिषत उपकर (शेष) देय होगा। देयको के भुगतान में से उक्त राशि काटी जावेगी एवं सर्विस टैक्स लागू होने पर तदनुसार कटौती की जावेगी।
- अमानत राशि किसी भी मान्यता प्राप्त बैंक का सावधि जमा रसीद (FDR) जो कि, प्रबंध संचालक, सीएसआईडीसी, रायपुर (Managing Director, CSIDC, Raipur) के पक्ष में देय हो, निविदा प्रपत्र के साथ अलग से लिफाफे में प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
- कार्य में स्थल आवश्यकतानुसार सामग्री की मात्रा में वृद्धि/कमी हो सकती है।
- कार्य में स्थल की आवश्यकतानुसार जी-शेड्यूल के अतिरिक्त सामग्री उपयोग किये जाने पर उक्त सामग्री का एस.ओ.आर./बाजार दर से निर्धारण पृथक से किया जाकर भुगतान देय होगा।
- कार्यालय आयुक्त, राज्य कर छत्तीसगढ़, वाणिज्यिक कर विभाग-जीएसटी भवन, कैपिटल काम्प्लेक्स, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर 19 नवा रायपुर अटल नगर का महत्वपूर्ण निर्देश क्र. 95/2020 पत्र क्र. आ.वाक./ तक/2020/7754 नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 02.12.2020 के आदेशानुसार :-
I. ठेकेदार/सप्लायर्स के द्वारा अंतिम भुगतान से पूर्व जीएसटी विभाग से बकाया न होने संबंधी प्रमाण पत्र (Tax Clearance Certificate) अथवा पूर्व देय कर जमा किए जाने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना होगा।
II. चूंकि वर्तमान में क्रियाशील सप्लायर्स आर्डर/वर्क कॉन्ट्रैक्ट की निविदा में उपरोक्त शर्त नहीं थी, इसलिए One Time सत्यापन किया जाना उचित होगा कि जिस जी0 एस0 टी0 पंजीयन पर TDS कट रहा है वो जीवित है अथवा नहीं। यह सत्यापन निकटस्थ जी0 एस0 टी0 वृत्त कार्यालय से कराया जा सकता है। साथ ही अंतिम भुगतान या धरोहर राशि की विमुक्ति के पूर्व, देय कर का शासकीय कोष में जमा कराए जाने का सत्यापन कराया जाना भी उचित होगा।
- कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) छ.ग. द्वारा जारी आदेश क्र. 2336/खनिज/रायल्टी/20 दिनांक 04.03.2020 के तहत शासन के निर्देशानुसार बिना रायल्टी चुकता प्रमाण पत्र के किसी भी ठेकेदार का अंतिम देयक का भुगतान न किया जावे जिससे शासन को राजस्व की हानि न हो, तदनुसार बिना रायल्टी चुकता प्रमाण पत्र के अंतिम भुगतान नहीं किया जावेगा।
- Valid registration of GST and Proof of upto date GST return.**
- All the document to be submitted shall be duly clean readable otherwise tender will not be accepted.**
- निविदाये निगम (संभाग-01) की निविदा पेट्टी में डालनी होगी। डाक द्वारा प्राप्त निविदाये स्वीकार नहीं की जावेगी।
- निविदा प्रकाशन में टंकन आदि की त्रुटि होने पर मूल अभिलेख ही मान्य होंगे।
- निगम द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मापदण्ड के अनुसार ही निविदा प्रपत्र प्राप्त करने की पात्रता होगी।
- निविदा के संबंध में अन्य आवश्यक जानकारी (यदि कोई आवश्यक हो तो) कार्यालय, कार्यपालन अभियंता, संभाग-01 सीएसआईडीसी, द्वितीय तल, उद्योग भवन रिंग रोड क्र.-1 तेलीबांधा रायपुर से कार्यालयीन समय में प्राप्त की जा सकती है।
- कोई भी या सभी निविदाये स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार प्रबंध संचालक के पास सुरक्षित रहेगा।

कार्यपालन अभियंता, संभाग-1